उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-22/2022/1409/तीस-4-2022-91जीआई/2010
लखनऊः दिनांक : 02 सितम्बर,2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारिवर्ग (समूह-'ग') सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

## उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारिवर्ग

## (समूह-'ग') सेवा नियमावली, 2022

### भाग-एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारिवर्ग (समूह-'ग') सेवा नियमावली, 2022 कही जायेगी;

(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी;

सेवा की प्रास्थिति

2- उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारिवर्ग (समूह-'ग') सेवा में समूह-'ग' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएँ

3- जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:-

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है ;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य कार्यालय, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश में तैनात अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) से है;

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(ङ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है ;

(छ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य राज्यपाल, उत्तर प्रदेश से है ;

(ज) 'विभागाध्यक्ष' का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश से है;

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(झ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारिवर्ग (समूह-'ग') सेवा से है;

(ञ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली अथवा इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ट) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ठ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो, तथा नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ड) 'परिवहन आयुक्त', 'अपर परिवहन आयुक्त(प्रवर्तन)', 'सहायक परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)', 'संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)', 'संभागीय परिवहन अधिकारी और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी का तात्पर्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारियों से है; और

(ढ) 'भर्ती वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

## भाग दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4-(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट ''क'' में दी गयी है।

परन्तु यह कि ;-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकती हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न हो; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकती हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

## भाग तीन-भर्ती

भर्ती का स्रोत

5- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः-

(1) प्रवर्तन पर्यवेक्षक : मौलिक रूप से नियुक्त प्रवर्तन कांस्टेबलों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों, में से पदोन्नति द्वारा।

(2)-प्रवर्तन कांस्टेबल : (1) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण

6-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय-समय पर यथासंशोधित उक्त अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 तथा भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा।

टिप्पणी-उपरोक्त पद विकलांग कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-35/65- 03-11-78/99, दिनांक 13.01.2011 के अनुसार आरक्षण हेतु चिन्हित नहीं किये गये हैं।

भाग चार-अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो;

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिये ऐसा व्यक्ति होना आवश्यक है जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणीः ऐसे अभ्यर्थी, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु जिसे न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, को किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस बात के अध्यधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं

8-(1) प्रवर्तन कांस्टेबल के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

(2) लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा, चयनकर्ता संस्था (उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) द्वारा संचालित की जायेगी। प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही चयन हेतु संस्तुत किया जायेगा।

(3) शारीरिक मानक

पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम् शारीरिक मानक निम्नवत हैं:-

(क) ऊँचाई:

(एक) अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।

http://shasanadesh.up.gov.in

(दो) अन्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।

(ख) वक्ष:

(एक) अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के लिये फुलाये बिना

77 सेंटीमीटर और फुलाने पर अन्यून 82 सेंटीमीटर।

(दो) अन्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वक्ष की माप फुलाये बिना 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर अन्यून 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

टिप्पणी -न्यूनतम 5 सेंटीमीटर वक्ष फुलाव आवश्यक है।

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

(क) ऊँचाई:

(एक) अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम

ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।

(दो) अन्य महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152

सेन्टीमीटर होनी चाहिए।

(ख) वजन:

महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 40 किलोग्राम।

अधिमानी अर्हता

9- किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अन्य बातों के समान होने पर अधिमान प्रदान किया जायेगा, जिसने -

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) अन्य बातों के समान होने पर राष्ट्रीय कैडेट कोर में 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10-प्रवर्तन कांस्टेबल के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह उस कैलेण्डर वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जायं, के प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो;

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, के अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए ऐसे चरित्र का होना आवश्यक है जैसा कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

वैवाहिक प्रास्थिति

12-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13-किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ न हो, और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना न हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्सियल हैण्ड बुक खण्ड-दो, भाग तीन के अध्याय-तीन में अन्तर्विष्ट फन्डामेण्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सीय स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें:

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्तीकृत किसी अभ्यर्थी से चिकित्सकीय स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

## भाग-पांच

## भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14-नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष के प्रक्रम के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना उसे दी जायेगी।

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15-(एक) सेवा में प्रवर्तन कांस्टेबल के पद पर सीधी भर्ती, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(दो) सीधी भर्ती के लिए शारीरिक प्रवीणता परीक्षा,

कांस्टेबलों की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक प्रवीणता परीक्षा हेतु दौड़:

(क) पुरूष अभ्यर्थियों के लिए 27 मिनट में 4.8 कि0मी0 (किलोमीटर)

(ख) महिला अभ्यर्थियों के लिए 16 मिनट में 2.4 कि0मी0(किलोमीटर)

नियत समय में दौड़ पूरा करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी असफल माने जायेंगे।

टिप्पणी -उक्त परीक्षाएं आयोग द्वारा संचालित की जायेंगी।

(तीन) पूर्वोक्त शारीरिक मानक/शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवर्तन कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुति आयोग द्वारा यथा संस्तुत योग्यता के क्रम में नियुक्ति प्राधिकारी को की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16-(एक) सेवा में, प्रवर्तन पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

जायेगी। उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदो के लिए) नियमावली, 1992 में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी चयन समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी:-

(क) नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट — सदस्य

दो राजपत्रित अधिकारी, जो उस पद की पर्यवेक्षकीय

हैसियत रखते हों जिसके लिये चयन किया जाना है।

टिप्पणी- चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों का नाम-निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन कृत आदेश के अनुसार किया जाएगा।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की पात्रता सूची, समय समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(तीन) चयन समिति खण्ड (दो) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी।

(चार) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम, जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी हो, में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

## भाग-छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण, ज्येष्ठता और प्रशिक्षण

नियुक्ति

17-(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम, जिसमें वे यथास्थिति नियम 15 और 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, में लेकर नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसाकि चयन में अवधारित किया गया हो।

परिवीक्षा

18-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद, यदि कोई हो, पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हों, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

19-(1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा; यदि -

(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, प्राप्त कर लिया हो;

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय;

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो, और

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबंधों के अनुसार स्थायीकरण किया जाना आवश्यक न हो, वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षाधीन अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है, स्थायीकरण का आदेश माना जायेगा।

ज्येष्ठता

20-सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

प्रशिक्षण

21-प्रत्येक अभ्यर्थी, चाहे उसकी नियुक्ति सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा की गयी हो, से समय-समय पर विभाग द्वारा यथा विहित प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी।

## भाग सात-वेतन इत्यादि

वेतनमान

22-(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान 'परिशिष्ट-ख' में दिए गए हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23-(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, को समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्वि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और जहॉ विहित हो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्वि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान करने में विफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना तब तक वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, का परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित किया जायेगा:

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान करने में विफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, का परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग-आठ-अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

24-सेवा में किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों, चाहे लिखित हों या मौखिक हों, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25-ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों से आच्छादित न हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

26-जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अध्यधीन, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:

व्यावृत्ति

27-इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

परिशिष्ट-''क''

(देखें नियम-4 (2))

सेवा की प्रत्येक श्रेणी के पदों की सदस्य संख्या

| क्र0सं0 | पद का नाम | पदों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | स्थायी | अस्थायी | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | प्रवर्तन पर्यवेक्षक | 128 | -- | 128 |
| 2 | प्रवर्तन कांस्टेबल | 737 | -- | 737 |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

परिशिष्ट-'ख'

(देखें नियम-22 (2))

अनुमन्य वेतन मैट्रिक्स

| क्र0सं0 | पद का नाम | छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन बैन्ड और ग्रेड वेतन | | | सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वेतन बैन्ड का नाम | तत्सदृश वेतन बैन्ड (रू0) | तत्सदृश ग्रेड वेतन (रू0) | लेवल | मैट्रिक्स |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | प्रवर्तन पर्यवेक्षक | वेतन बैन्ड-1 | 5200-20,200 | 2400/- | 4 | 25500 - 81100 |
| 2 | प्रवर्तन कांस्टेबल | वेतन बैन्ड-1 | 5200-20,200 | 1900/- | 2 | 19900 - 63200 |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

**GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH**
**TRANSPORT SECTION – 4**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 22 /2022/1409 /XXX-4-2022-91GI/2010 dated 02 September, 2022

**NOTIFICATION**
**Miscellaneous**

**No. 22/2022/1409 /XXX-4-2022-91GI/2010**
**Lucknow :: Dated :: 02 September, 2022**

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Transport Department Enforcement Staff (Group 'C') Service:

**THE UTTAR PRADESH TRANSPORT DEPARTMENT ENFORCEMENT STAFF (GROUP 'C') SERVICE RULES, 2022**

**PART-I—GENERAL**

**Short title and commencement**

1.(1) These rules may be called "The Uttar Pradesh Transport Department Enforcement Staff (Group 'C') Service Rules, 2022".

(2) They shall come into force at once .

**Status of the service**

2. The Uttar Pradesh Transport Department Enforcement Staff (Group 'C') Service is a service comprising Group 'C' posts.

**Definitions**

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time;

(b) 'Appointing authority' means the Additional Transport Commissioner (Enforcement) posted in the office of the Transport Commissioner, Uttar Pradesh;

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(c) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution ;

(d) 'Commission' means Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission ;

(e) 'Constitution' means the Constitution of India ;

(f) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(g) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(h) 'Head of the Department' means the Transport Commissioner of Uttar Pradesh;

(i) 'Service' means the Uttar Pradesh Transport Department Enforcement Staff (Group 'C') Service ;

(j) 'Member of service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service ;

(k) 'Other Backward Classes of Citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time;

(l) 'Substantive appointment' means an appointment, not being an ad-hoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules, and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(m) 'Transport Commissioner', 'Additional Transport Commissioner (Enforcement), 'Assistant Transport Commissioner (Enforcement)', 'Regional Transport Officer(Enforcement)', 'Regional Transport Officer' and 'Assistant Regional Transport Officer' means the officers appointed as such by the Government; and

(n) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

## PART-II – CADRE

**Cadre of service**

4.(1) The Strength of the service and of each category of posts therein shall be as such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in Appendix 'A'.

Provided that; —

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts, as he may consider proper.

## PART-III—RECRUITMENT

**Source of recruitment**

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources :

| | | |
|---|---|---|
| (1) Enforcement Supervisor | : | By promotion from amongst substantively appointed Enforcement Constables who have completed ten years' service as such on the first day of the year of recruitment. |
| (2) Enforcement Constable | : | (i) By direct recruitment through the Commission. |

**Reservation**

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act and, the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Note-As per Government Order of Handicapped Welfare Department No. 35/65-03-11-78/99, Dated 13.01.2011 above posts are not indentified for reservation.

## PART-IV — QUALIFICATIONS

**Nationality**

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be :

(a) a citizen of India ; or

(b) a Tibetan Refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

NOTE—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

**Academic and other qualifications**

8. (1) A candidate for direct recruitment to the post of Enforcement Constable must have passed the Intermediate examinations of the Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent thereto.

(2) Computer skill test of written test passed candidates will be conducted by the selection institution (Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission). Only skill test passed candidates will be recommended for selection.

(3) Physical Standard

Minimum Physical Standards for male candidates are as follows:-

(a) Height:-

(i) For Scheduled Tribes male candidates minimum height should be 160 centimeter.

(ii) For other candidates minimum height should be 168 centimeter.

(b) Chest:-

(i) For the Scheduled Tribes candidates 77 centimeters without expansion and not less than 82 centimeters on expansion.

(ii)For other candidates minimum chest measurement should be 79 centimeters without expansion and not less than 84 centimeters on expansion

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Note:- Minimum 5 centimeter chest expansion is essential.

Minimum Physical Standards for female candidates are as follows:-

(a)Height:-

(i) For Scheduled Tribe female candidates minimum height should be 147 centimeter.

(ii) For other female candidates minimum height should be 152 centimeter.

(b) Weight: minimum 40 kg. for female candidates.

**Preferential qualification**

9. A candidate who has :-

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or

(ii) obtained a 'B' certificate at the national cadet corps, shall other things being equal be given preference in the matter of direct requirement.

**Age**

10. A candidate for direct recruitment to the post of enforcement constable must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 25 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised :

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government for time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

**Character**

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

NOTE—Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

**Marital status**

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

**Physical fitness**

13. (1) No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment. He shall be required to produce a Medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10, contained in Chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, Part III :

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

## PART-V
## PROCEDURE FOR RECRUITMENT

**Determination of vacancies**

14. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The vacancies to be filled through the commission shall be intimated to them.

**Procedure for Direct Recruitment through the Commission**

15. (i) Direct recruitment to the post of Enforcement Constable in the service shall be made in accordance with the provision of the Uttar Pradesh Direct Recruitment to Group "C" Posts (Mode And Procedure) Rules, 2015 as amended from time to time.

(ii) Physical Efficiency Test for Direct Recruitment

Run for physical efficiency test for direct recruitment of constables:

(a) For male candidates 4.8 Km. (kilometer) in 27 minutes.

(b) For female candidates 2.4 Km. (Kilometer) in 16 minutes.

Those candidates who fail to complete the run in stipulated time will be treated unsuccessful.

Note- Above Tests will be conducted by the Commission.

(iii) The candidates who have qualified the aforesaid Physical Standard/Physical Efficiency Test shall be recommended for appointment to the appointing authority for the post of enforcement constable in order of merit as recommended by the Commission.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

**Procedure for recruitment by promotion**

16 (i) Recruitment by promotion to the post of Enforcement Supervisor in the service shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time. Notwithstanding anything to the contrary contained in the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for posts outside the purview of the Service Commission Rules, 1992, the Selection Committee shall be constituted as under:-

| | | |
|---|---|---|
| (a) | Appointing Authority | - Chairman. |
| (b) | Two gazetted officers nominated by the Appointing Authority, having supervisory capacity of the post for which selection is made. | - Members. |

NOTE- Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation For Scheduled Castes, Scheduled Tribes And Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time.

(ii) The appointing authority shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee their Character Rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

(iii) The Selection Committee shall consider the cases of the

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

candidates on the basis of the records, referred to in clause (ii).

(iv) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they were to be promoted and forward the same to the appointing authority.

## PART-VI—APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION, TRAINING AND SENIORITY

**Appointment**

17. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15 & 16 as the case may be.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.

**Probation**

18.(1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013 as amended from time to time.

(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.

(4) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

**Confirmation**

19. (1) Subject to the provisions of sub -rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if-

(a) he has successfully undergone the prescribed training if any;

(b) his work and conduct is reported to be satisfactory;

(c) his integrity is certified ; and

(d) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991 Confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of the rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

**Seniority**

20. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

**Training**

21. Every candidate, whether appointed by direct recruitment or promotion, will be required to undergo training as may be prescribed by the Department from time to time.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

## PART-VII—PAY ETC.

**Scales of pay**

22.(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given in Appendix 'B'.

**Pay during probation**

23.(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

## PART-VIII –OTHER PROVISIONS

**Canvassing**

24. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

**Regulation of other matters**

25. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

**Relaxation from the conditions of service**

26. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

**Savings**

27. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,

L. Venkateshwar Lu
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

**APPENDIX 'A'**

**[See rule 4(2)]**

## The strength of the service of each category of posts

| Serial no. | Name of post | Number of posts | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Permanent | Temporary | Total |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Enforcement Supervisor | 128 | - | 128 |
| 2 | Enforcement Constable | 737 | - | 737 |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

**APPENDIX 'B'**

**[See rule 22(2)]**

# The admissible of pay matrix

| Serial no. | Name of post | Pay Band & Grade Pay as per VIth Pay Commission | | | Pay Matrix as per VIIth pay Commission | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Name of Pay Band | Corresponding Pay Band (Rs.) | Corresponding Grade Pay (Rs.) | Level | Matrix |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Enforcement Supervisor | Pay Band-1 | 5200-20200 | 2400/- | 4 | 25500-81100 |
| 2 | Enforcement Constable | Pay Band-1 | 5200-20200 | 1900/- | 2 | 19900-63200 |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-22/2022/1409(1)/ तीस-4-2022-91जीआई/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना आदेश को दिनांक 02 सितम्बर, 2022 के असाधारण गजट के परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा
विशेष सचिव।

संख्या-22/2022/1409(2)/ तीस-4-2022-91जीआई/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन विभाग को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/कार्मिक/न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7. अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।